—::न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा::—

पृ0 कमॉक: 500 / आर0दो0(एच) / 2024 छिन्दवाड़ा, दिनॉक 09 / 07 / 2024

प्रतिलिपि :—

"इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 072 / अ—20(3) / 2024—25 में पारित आदेश दिनांक 05 / 07 / 2024 की छायाप्रति"

1. आवेदक क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वेकोलि पेंच क्षेत्र परासिया की ओर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार जुन्नारदेव / तामिया जिला छिन्दवाड़ा आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में तत्काल आवश्यक दुरूस्ती करें एवं दुरूस्ती उपरांत कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मय खसरा एवं नक्शा की प्रति इस न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त कलेक्टर

ओर से कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– / 0072 / अ–20(3) / 2024–25

क्षेत्रीय महाप्रबंधक वेकोलि पेंच एरिया परासिया विरूद्ध म0प्र0 शासन

1	2	3
05/07/2024	प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति छिन्दवाड़ा से प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक क्षेत्रीय महाप्रबंधक, पेंच क्षेत्र परासिया द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत कर विष्णुपरी युजी से ओसी कोयला खदान हेतु उपयोग में आ रही 135.008 हे0 वन भूमि के बदले मौजा कोटाखारी तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 51, 39 / 1 रकबा 20.158, 14.67 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिला नजूल निर्वर्तन समिति, छिन्दवाड़ा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक 68 / 2024 दिनांक 05 / 07 / 2024 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव द्वारा की गई अनुशंसा एवं जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विष्णुपरी युजी से ओसी कोयला खदान हेतु उपयोग में आ रही 135.008 हे0 वन भूमि के बदले ग्राम कोटाखारी तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 51, 39 / 1 रकबा क्रमशः 14.670, 20.158 हे0 में से रकबा 13.670हे, 19.158 हे0 कुल रकबा 33.828 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में वर्णित प्रावधानों के तहत म0प्र0शासन वन विभाग (वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा) को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदाय की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव 0004 / अ–20(3) / 2024–25 प्रतिवेदन दिनांक 25.06.2024 में नायब तहसीलदार दमुआ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम कोटाखारी तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 51, 39 / 1 रकबा 20.158, 14.67 हे0 भूमि कर विष्णुपरी युजी से ओसी कोयला खदान हेतु उपयोग में आ रही आवश्यक वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रकरण का अद्योपांत अवलोकन किया गया। ग्राम कोटाखारी तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 51, 39 / 1 रकबा 20.158, 14.67 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में इश्तेहार का प्रकाशन किया गया। आवेदित भूमियां वर्तमान राजस्व अभिलेख में वन दर्ज है। आवेदित भूमियों का राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें आवेदित भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई है। आवेदित भूमियों में 2.00 हे0 भूमि पर ग्रामवासियों के द्वारा कब्जा कर अतिक्रतण किया गया है।	

कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– /0072/अ–20(3)/2024–25

क्षेत्रीय महाप्रबंधक वेकोलि पेंच एरिया परासिया विरूद्ध म0प्र0 शासन

1	2	3
	अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल निर्वर्तन समिति, छिन्दवाड़ा की स्वीकृति एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव द्वारा की गई जॉच एवं अनुशंसा से सहमत होते हुए विष्णुपरी युजी से ओसी कोयला खदान हेतु उपयोग में आ रही 135.008 हे0 वन भूमि के बदले ग्राम कोटाखारी तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 51, 39/1 रकबा क्रमशः 14.670, 20.158 हे0 में से रकबा 13.670हे, 19.158 हे0 कुल रकबा 33.828 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में वर्णित प्रावधानों के तहत म0प्र0शासन वन विभाग (वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा) को हस्तांतरित की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव एवं तहसीलदार जुन्नारदेव को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य वन विभाग के पक्ष में सौंपा जावे। कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत कराना सुनश्चित करें। आदेश की प्रति सर्वसंबंधितों को भेजी जावे। प्रकरण नस्ती, जिला अभिलेखागार जमा होवे। (शीलेन्द्र सिंह) कलेक्टर, जिला–छिन्दवाड़ा	